न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–157/19

1 – ओमप्रकाश पुत्र श्री जगन्नाथ
2 – रामस्वरूप पुत्र श्री जगन्नाथ
3 – जानकी बाई पुत्री श्री जगन्नाथ
4 – लक्ष्मी पुत्री श्री जगन्नाथ
5 – नन्ददूलारी पुत्री श्री जगन्नाथ
जातिगण धाकड़ पुत्र निवासीगण अलीपुरा अन्ता जिला बारां राज. (वादीगण)

बनाम

1 – जगन्नाथ पुत्र हिरालाल जाति धाकड़ निवासी अलीपुरा तहसील अन्ता जिला बारां राज.
राज0
2 – राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अन्ता जिला बारां (राज0)
(प्रतिवादीगण)

उपस्थित वकील :– श्री भगवान प्रसाद दाधीच (वादी)
श्री हरिश शर्मा (प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 23/07/19

प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर वाद अन्तर्गत धारा अन्तर्गत 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ग्राम अलीपुरा तहसील अन्ता में खाता सं. 55 में ख.न. 222 रकबा 1.96 हे. ख.न. 284 रकबा 0.28 हे. ख.न. 350/817 प. रकबा 0.64 हे. ख.न. 393 रकबा 0.01 हे. ख.न. 434/515 रकबा 0.18 हे. किता 5 रकबा 3.07 हे. भूमि स्थित है। उक्त आराजी को वादपत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है तथा ग्राम बालाखेड़ा तहसील अन्ता की अराजी खाता स. 129 ख.न. 934 रकबा 0.42 हे. ख.न. 1547/937 रकबा 0.08 हे., किता 2 रकबा 0.50 हे. भूमि स्थित है। जिसे उक्त वादपत्र में विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त आराजियात वादी के नाम खातेदारी में दर्ज है। जिस पर वादिगण एवं प्रतिवादिगण काबिज काश्त करते चलें आ रहे है।
यह कि प्रतिवादी क्रम 1 का वंशवृक्ष निम्न प्रकार है।

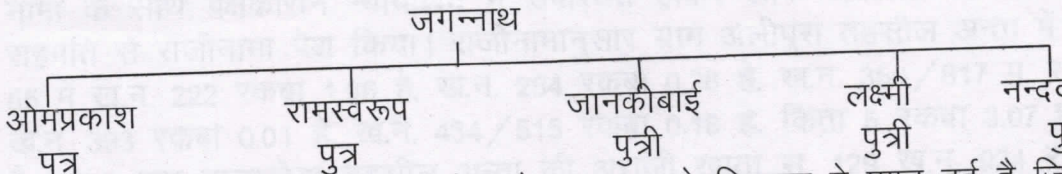

उक्त विवादित आराजी पुश्तैनी है। क्रम 1 को विरासत मे प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण का हक अधिकार जन्मतः निहिज है। वादीगण का प्रत्येक का हिस्सा 1/6–1/6 नियत है । वादीगण अपने हिस्से कि भूमि पर काबिज काश्त करते चलें आ रहे है। उक्त विवादित आराजियात प्रतिवादी क्रम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण विवादित आराजियात को रहन या बेचान या खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा आये दिन वादिगण को

रहन बेचान करने की धमकी देता है। उक्त भूमि पुश्तैनी होने से वादिगण को अपन अपना हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने के हक अधिकारी एवं नालिशी है तथा वादिगण को अपने अपने हिस्से 1/6–1/6–1/6–1/6–1/6 भूमि के बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादिगण के खिलाफ प्रतिवादिगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायाी जावें कि प्रतिवादिगण उक्त भूमि को रहन, बेचान या खुर्द बुर्द नही करे वादिगण की भूमि पर काश्त व्यवस्था मे किसी प्रकार की कोई मदाखलत नही करे एवं वादिगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें रहन, बेचान एवं खुर्द बुर्द नही करें, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादिगण जारी फरमायी जावें। वाद का कारण दिनांक 15.06. 2019 को वादिगण द्वारा प्रतिवादि कम 1 से अपने हिस्से कि जमीन खाते बधवानें की कहने पर प्रतिवादि कम 1 साफ इंकार हो जाने के कारण वाद बमुकाम ग्राम अलीपुरा तहसील अन्ता में उत्पन्न हुआ। वाद आवश्यक प्रकृति का होने से श्रीमान के समक्ष यह वाद धारा 80 (2) सी.पी. सी. के प्रावधानों के तहत पेश किया जा रहा है वादिगण वाद स्वीकार कर वाद पत्र पेश करने की स्वीकृति दी जावे। वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वादपत्र उचित न्याय शुल्क एवं अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादिगण का वाद खिलाफ प्रतिवादिगण इस प्रकार निर्णित एवं डिक्री किया जावे।

(1) यह कि ग्राम अलीपुरा तहसील अन्ता में खाता सं. 55 में ख.न. 222 रकबा 1.96 हे. ख.न. 284 रकबा 0.28 हे. ख.न. 350/817 प. रकबा 0.64 हे. ख.न. 393 रकबा 0.01 हे. ख.न. 434/515 रकबा 0.18 हे. किता 5 रकबा 3.07 हे. भूमि मे से वादिगण को अपने अपने हिस्से 1/6–1/6–1/6–1/6–1/6 भूमि के बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा ग्राम बालाखेड़ा तहसील अन्ता की अराजी खाता स. 129 ख.न. 934 रकबा 0.42 हे. ख.न. 1547/937 रकबा 0.08 हे., किता 2 रकबा 0.50 हे. भूमि मे से वादिगण को अपने अपने हिस्से 1/6–1/6–1/6–1/6–1/6 भूमि के बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(2) कि प्रतिवादिगण उक्त भूमि को रहन, बेचान या खुर्द बुर्द करे वादीगण की भूमि पर काश्त व्यवस्था मे किसी प्रकार की कोई मदाखलत नहीं करें वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, रहन, बेचान एवं खुर्द बुर्द नही करने का प्रयत्न नहीं करे, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादिगण जारी फरमायी जावें। अन्य सहायता वादिगण को प्रतिवादिगण से दिलायी जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी करवाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री हरिश शर्मा द्वारा वकालत नामा के साथ पक्षकारान न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। राजीनामानुसार ग्राम अलीपुरा तहसील अन्ता में खाता संख्या 55 में ख.न. 222 रकबा 1.96 हे. ख.न. 284 रकबा 0.28 हे. ख.न. 350/817 प. रकबा 0.64 हे. ख.न. 393 रकबा 0.01 हे. ख.न. 434/515 रकबा 0.18 हे. किता 5 रकबा 3.07 हे. भूमि स्थित है। तथा ग्राम बालाखेड़ा तहसील अन्ता की अराजी खाता स. 129 ख.न. 934 रकबा 0.42 हे. ख.न. 1547/937 रकबा 0.08 हे., किता 2 रकबा 0.50 हे. भूमि स्थित है। उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के नाम खाते दर्ज है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी क्रम 1 के परिवार मे पांच सदस्य (संताने) है। उक्त भूमि पुश्तैनी है। जिसमें सभी पक्षकारों का प्रत्येक का हिस्सा 1/6–1/6 बनता है। उक्त विवादित आराजी के प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा कर राजस्व

रेकार्ड में खाते 1/6–1/6 भूमि वादीगण के नाम एवं प्रतिवादी क्रम 1/6 हिस्सा दर्ज करवानें के लिए प्रतिवादी क्रम 1 सहमत है। इसमें दोनो पक्षों को कोई ऐतराज नही है। उक्त राजीनामा वादीगण वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बिना किसी दाब दबाव के अपनी स्वैच्छा से कर रहे है। यह राजीनामा दोनो पक्षों ने लोक अदालत की भावना से किया है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 को कोई ऐतराज नही है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा व दावा अनुसार डिक्री एवं निर्णय पारित फरमाया जावें। कि बाके माल ग्राम अलीपुरा खाता संख्या 55 में ख.न. 222 रकबा 1.96 हे. ख.न. 284 रकबा 0.28 हे. ख.न. 350/817 प. रकबा 0.64 हे. ख.न. 393 रकबा 0.01 हे. ख.न. 434/515 रकबा 0.18 हे. किता 5 रकबा 3.07 हे. भूमि स्थित है। तथा ग्राम बालाखेड़ा तहसील अन्ता की अराजी खाता स. 129 ख.न. 934 रकबा 0.42 हे. ख.न. 1547/937 रकबा 0.08 हे., किता 2 रकबा 0.50 हे. भूमि में से वादीगण को 1/6–1/6/1/6–1/6–1/6 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 को कोई ऐतराज नही है। वादीगण के नाम दोनो खाते की भूमि में से 1/6–1/6/1/6–1/6–1/6 भूमि खाते दर्ज की जावें।

राजीनामा प्रस्तुत होने पर पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पढकर, सुनकर स्वयं के द्वारा लिखवाया जाना स्वीकार किया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा स्वीकार किये जाने पर बाद तस्दीक स्वीकार कर शामिल फाईल किया गया। वादी की पहचान श्री भगवान दाधीच अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान श्री हरिश शर्मा, अधिवक्ता द्वारा की गई। हमने आद्योपान्त पत्रावली का अवलोकन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया। राजीनामा अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है कि ग्राम अलीपुरा खाता संख्या 55 में ख.न. 222 रकबा 1.96 हे. ख.न. 284 रकबा 0.28 हे. ख.न. 350/817 प. रकबा 0.64 हे. ख.न. 393 रकबा 0.01 हे. ख. न. 434/515 रकबा 0.18 हे. किता 5 रकबा 3.07 हे. भूमि एवं ग्राम बालाखेड़ा तहसील अन्ता की अराजी खाता स. 129 ख.न. 934 रकबा 0.42 हे. ख.न. 1547/937 रकबा 0.08 हे., किता 2 रकबा 0.50 हे. भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 हिस्से की भूमि का बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित भूमि पर समस्त प्रकार के भार/ऋण (रहन) यदि कोई होतो यथावत दर्ज किया जावे एवं आवश्यक हो तो नियमानुसार हकतर्क स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। प्रकरण फैसल शुमार कर नम्बर से कम कर दाखिल दफतर हो ।

निर्णय हमारे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनाक 23/7/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(औ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अन्ता जिला बारा बइजलास

पीठासीन अधिकारी श्री जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–157/19

1 – ओमप्रकाश पुत्र श्री जगन्नाथ
2 – रामस्वरूप पुत्र श्री जगन्नाथ
3 – जानकी बाई पुत्री श्री जगन्नाथ
4 – लक्ष्मी पुत्री श्री जगन्नाथ
5 – नन्ददूलारी पुत्री श्री जगन्नाथ
जातिगण धाकड़ पुत्र निवासीगण अलीपुरा अन्ता जिला बारां राज. (वादीगण)

बनाम

1 – जगन्नाथ पुत्र हिरालाल जाति धाकड़ निवासी अलीपुरा तहसील अन्ता जिला बारां राज.
2 – राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अन्ता जिला बारां (राज0)

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 23/7/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसा कतई रूबरू **श्री भगवान प्रसाद दाधीच** एडवाकेट हाजरी मिनजानिब मुददई रूबरू **श्री हरिश शर्मा** पेश हो कर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम अलीपुरा खाता संख्या 55 में ख.न. 222 रकबा 1.96 हे. ख.न. 284 रकबा 0.28 हे. ख.न. 350/817 प. रकबा 0.64 हे. ख.न. 393 रकबा 0.01 हे. ख.न. 434/515 रकबा 0.18 हे. किता 5 रकबा 3.07 हे. भूमि एवं ग्राम बालाखेड़ा तहसील अन्ता की अराजी खाता स. 129 ख.न. 934 रकबा 0.42 हे. ख.न. 1547/937 रकबा 0.08 हे., किता 2 रकबा 0.50 हे. भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 हिस्से की भूमि का बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित भूमि पर समस्त प्रकार के भार/ऋण (रहन) यदि कोई होतो यथावत दर्ज किया जावे एवं आवश्यक हो तो नियमानुसार हकतर्क स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। प्रकरण फैसल शुमार कर नम्बर से कम कर दाखिल दफतर हो ।

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता

ददई	रूपया	पैसा	मुददई	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकिल			महनताना वकिल		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत इजराई हुकतनामा			बाबत इजराई हुकतनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म एवं नकल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहै डिक्री के जरिय दिखाया गया हो या नही दर्जै करना चाहीय।